

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक:- 4/7/16

शुद्धि-पत्र

संख्या-06/विधि(ई0रिक्शा)-07/2015 परि0 4183 /विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-6, दिनांक-20.03.2015 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-709 (E) दिनांक-08.10.2014 के प्रावधान के आलोक में ई0रिक्शा/ई-कार्ट के संबंध में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1425 दिनांक-16.03.2016 की कंडिका-9 में उल्लिखित "ई0रिक्शा/ई-कार्ट वाहन व्यवस्था को प्रथमतः पटना शहरी क्षेत्र एवं तत्पश्चात अन्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा" को संशोधित करते हुए उक्त वाहन व्यवस्था को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाता है।

एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1425 दिनांक-16.03.2016 में वर्णित अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4183  
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (द्वारा आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना)

4183  
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4183  
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 04 एवं 06, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

4183  
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।